

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-02/यू0ओ0-125/एक-1-2018-राजस्व-1

लखनऊ: दिनांक: 12 फरवरी, 2018

अधिसूचना

जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के विकास खण्ड मल्लावां ग्राम बीकारपुर, बरौना व दारापुर परगना मल्लावां की 51.441 हे० ग्राम समाज की भूमि 30 वर्ष (30'30 वर्ष के लिए दो बार नवीनीकरण) के पट्टे पर शासनादेश दिनांक 25-04-1995 द्वारा 30प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धारा-117 के अन्तर्गत शासनादेश दिनांक 05-09-1986 का परिष्कार करते हुए शासकीय अधिसूचना दिनांक 08-05-1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्व अनुभाग-1 के आदेश संख्या-यू0ओ0 92/एक-1/1995, दिनांक 18-04-1995 द्वारा फिर से अधिकार में लेकर चीनी उद्योग विभाग के अधीन दिये जाने के उपरान्त मै० पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि० को प्रचलित बाजारू मूल्य कुल रू० 28,45,930.00 पर एकमुश्त नजराना एवं नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के बराबर वार्षिक किराया अदा करने के आधार पर निम्न शर्तों के साथ पट्टे पर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी:-

- (1) मै० पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि० लखनऊ को उक्त भूमि जिसका कुल रकबा 51.441 हे० का प्रचलित बाजारू मूल्य कुल रू० 28,45,930.00 वर्तमान बाजारू दर पर एकमुश्त नजराना के रूप में देना होगा एवं नई दरों पर निकाली गई मालगुजारी के बराबर वार्षिक किराया भी अदा करना होगा।
- (2) भूमि पर कम्पनी को सर्वाधिकार देने के बजाए 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी जिसका 30-30 वर्ष का नवीनीकरण किया जाएगा। इस आशय का पट्टा विलेख भी निष्पादित किया जायेगा जिसका प्रारूप तैयार करके जिलाधिकारी द्वारा विधीक्षण हेतु शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) यदि उक्त भूमि का उसके भाग को उपरोक्त चीनी मिल की आवश्यकता नहीं रहेगी तो चीनी मिल उसे शासन को वापस कर देगी और शासन द्वारा उक्त भूमि का मूल्य जितनी की चीनी मिल द्वारा उक्त भाग के लिए शासन को भुगतान किया गया होगा, वापस कर दिया जाएगा।
- (4) यदि कभी पुनर्ग्रहीत एवं आवंटित भूमि को पट्टे की शर्तों के विपरीत उपयोग में लाया जाएगा या उसे उपरोक्त स्वीकृति प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार

के उपयोग में लाया जाएगा या उसे उपरोक्त स्वीकृति प्रयोजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के उपयोग में लाया जाएगा तो शासन को यह अधिकार होगा कि भूमि को पट्टेदार से निःशुल्क वापस ले लें।

(5) यदि इस भूमि के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निष्पादित होने वाले विलेख पत्र के सम्बन्ध में कोई भी मतभेद उत्पन्न होगा तो वह निर्णय के लिए शासन के चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के सचिव के पास भेजा जाएगा।

3. शासन के उक्त पत्र दिनांक 25-04-1985 के क्रम में कम्पनी द्वारा ₹0 28,45,930.00, दिनांक 24-05-1995 को लेखाशीर्षक 29-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियां-06-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा कराया गया है। इस प्रकरण में अभी तक मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 द्वारा विलेख पत्र का निष्पादन नहीं कराया गया है।

4. वर्ष 1995 में चीनी मिल स्थापित करने हेतु प्रश्नगत भूमि लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया था जिसमें लगभग 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं परन्तु अभी तक मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 द्वारा पट्टा विलेख का निष्पादन नहीं किया गया। अभिलेखों में वर्तमान समय में जो भूमि ग्राम सभा की थी, वह भूमि ग्राम समाज के नाम ही दर्ज है। प्रश्नगत भूमि के चारों ओर बाउण्ड्री बनी हुई है तथा अन्य निर्माण कार्य हैं व उक्त भूमि मिल के कब्जे में हैं। इस भूमि पर चीनी मिल की स्थापना के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं किये गये।

5. उपरोक्त से स्पष्ट है कि मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 लखनऊ द्वारा शासनादेश दिनांक 25-04-1995 में शर्त संख्या-2 व 3 का उल्लंघन किया गया है तथा प्रश्नगत पट्टा के उद्देश्यों के विपरीत कार्य किया गया। लगभग 22 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी संस्था द्वारा पट्टा विलेख का निष्पादन नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि को उपरोक्त मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 लखनऊ को चीनी मिल स्थापित किये जाने हेतु आवश्यकता नहीं है चीनी मिल स्थापित न होने के कारण क्षेत्र में गन्ना उत्पादन गिरा है तथा गन्ना किसान मायूस हुए हैं तथा ग्राम समाज की भूमि का सही उपयोग नहीं किया जा सका है।

6. जिलाधिकारी, हरदोई के पत्र दिनांक 0'-10-2017 द्वारा चीनी विभाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपलब्ध अभिलेखों, शासनादेश दिनांक 25-04-1995 में दी गई शर्तों का उल्लंघन मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 लखनऊ द्वारा किये जाने के कारण मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 के नाम से जनपद

हरदोई में तहसील बिलग्राम के विकास खण्ड मल्लावां में चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 23-07-1993 द्वारा निर्गत लाइसेंस निरस्त किये जाने की संस्तुति की गई है।

प्रकरण में यह प्रतिबिम्बित हो रहा है कि शासन के आदेश दिनांक 18-04-1995 द्वारा चीनी मिल की स्थापना हेतु मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 को रू0 28,45,930.00 मूल्य पर 51.441 हे0 भूमि निस्तारण की सुविधा के साथ 30 वर्ष के पट्टे पर दी गयी थी। संस्था द्वारा भूमि की बाउण्ड्री करायी गयी है और भूमि संस्था/मिल के कब्जे में है। संस्था द्वारा 22 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी न तो चीनी मिल की स्थापना की गयी और न ही पट्टा-विलेख का निष्पादन कराया गया। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा संस्था को सार्वजनिक भूमि देने का उद्देश्य ही पराजित हो गया।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, हरदोई एवं गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की संस्तुति के आधार पर पुनर्ग्रहण आदेश संख्या-यू0ओ0-92/एक-1/1995 दिनांक 18-04-1995 को एतद्वारा निरस्त कर शासनादेश दिनांक 25-04-1995 में उल्लिखित जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के विकास खण्ड मल्लावां ग्राम बीकापुर, बरौना व दारापुर की कुल 28 किता कुल रकबा 51.441 हे0 भूमि को पुनः ग्राम सभा में निहित किया जाता है तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-04-1995 के अनुसार मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया लि0 द्वारा जमा की गयी एकमुश्त धनराशि कुल रू0 28,45,930.00/- जब्त की जाती है।

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-यू0ओ0-125(1)/एक-1-2018-राजस्व-1 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, हरदोई यथा निर्देश अपेक्षित कार्यवाही हेतु।
4. मै0 पेट्रान इण्टरनेशनल इण्डिया प्रा0लि0, बी-85, सेक्टर-सी, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226006
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार)
सचिव।

Shashnavdesh.up.nic.in